न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

राजसीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– प्रार्थना पत्र संख्या 77/2019

निर्णय दिनांक :–

गोविन्दप्रसाद पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण नि0 गोगासर, तहसील रतनगढ, जिला चूरू ।

... प्रार्थी

बनाम

कलपतरू प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी शाखा रतनगढ जरिये मैनेजर राहूल डे पुत्र समीरन डे जाति डेगवाली निवासी हुगली प.बंगाल हाल रतनगढ जिला चूरू।

.....अप्रार्थी

उपस्थित:–

1. श्री रामचन्द्र ज्याणी अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिनांक 29.11.2019 को प्रस्तुत किया गया।
2. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से एक दावा उक्त अनुवानी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसमें सफलता मिलने की पुरी सभांवना है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत ख.नं. 494 तादादी 14.0754 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम मालासर तहसील रतनगढ में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 20/1113 हिस्सा एवं जगदीशप्रसाद का 1093/1113 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादगत खातेदारी भूमि में ट्यूववेल मय विधुत कनेक्शन लेकर काश्त करते आ रहे है तथा आज दिन सिंचाई से गेहूं, मेथी व जौ की फसल काश्त कर रखी है। अप्रार्थी जबरन प्रवेश

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

कर विद्युत विभाग की ओर से विद्युत विभाग का पॉल लगाना चाहते है। जिससे प्रार्थी की खड़ी फसल पूर्णतः बर्बाद करने पर तुले हुए है। दिनांक 27.11.2019 को 20–30 लोगों के साथ एकराय होकर तीन ट्रेक्टर, दो पिकअप लेकर आये और कहा कि खड़ी फसल में पोल लगायेगें ओर फसल के नुक्सान की उनकी कोई जिम्मेदारी नही है। प्रार्थी ने ऐसा करने से मनाह किया तो अप्रार्थी मानने से इन्कार हो गये। प्रार्थी ने मुख्य लोगों व सरपंच को बुलाया तो उस समय तो वोह मान गये परन्तु दिनांक 28.11.2019 को वे लोग प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पोल रोपने हेतु आ गये।

3. अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि ख.नं. 494 तादादी 14.0754 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम मालासर तहसील रतनगढ के लिए अप्रार्थी को वर्जित किया जावे कि प्रवेश नही करें ना ही किसी प्रकार से पाले आदि रोपें व प्रार्थी के खेत में ट्रैक्टर, पिकअप आदि वाहन अथवा किसी प्रकार की मशीनरी प्रवेश नही करें।

4. अप्रार्थी को मौके पर यथास्थिति कायम रखने हेतु आगामी पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। अप्रार्थी दिनांक 6.12.2019 को स्वंय न्यायालय में उपस्थित हुए व जबाब प्रस्तुत किया।

5. बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का भलीभातिं अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि मौके पर गेंहू, मेथी की फसल खड़ी है तथा फसल में से वाहनों के आवागमन करने से फसल नष्ट हो जायेगी। अप्रार्थी द्वारा उचित मुआवजा नही दिया जा रहा है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा कोई नोटिस नही दिया गया है। इसलिए अप्रार्थी को दावा के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे। अप्रार्थी स्वंय ने बहस के दौरान बताया कि टॉवर की दूरी निर्धारित है, जिसमें कोई बदलाव नही किया जा सकता है। टॉवर लगाने में प्रार्थी की 30/35 मीटर भूमि आयेगी जिसका मुआवजा बाजार दर से प्रार्थी को दिया जावेगा। अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था परन्तु उसने लेने से इन्कार कर दिया। टॉवर लगाते समय वाहनों के लिए 30 से 40 मीटर भूमि का उपयोग होगा जिसका मुआवजा भी प्रार्थी को भुगतान किया जावेगा। विद्युत

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

लाईन डालने का कार्य केन्द्रीय विधुत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है तथा समयबद्व चरण में पूर्ण किया जाना आवश्यक है। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त फरमाई जावे।

अप्रार्थी द्वारा बीकानेर से खेतड़ी ट्रांसमिशन लाईन डाली जा रही है तथा यह प्रोजेक्ट जनहित में है। प्रार्थी को भूमि एवं फसल खराब होने पर उचित मुआवजा बाजार दर से दिये जाने का प्रावधान है। विधुत लाईन डालने का कार्य केन्द्रीय विधुत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है तथा समयबद्व चरण में पूर्ण किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार केन्द्रीय विधुत प्राधिकरण द्वारा व्यापक जनहित में लगाये जाने वाले सरकारी प्रोजेक्ट को रोका जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधिनियम बाबत खेत ख.नं. 494 तादादी 14.0754 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम मालासर तहसील रतनगढ खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 6.12.19 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.01.02 14:05:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: